Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./2967/2006/गंगानेर

श्रीमती नानू जोजे रुक्मण, जाति जाट, निवासी सांवलसर, तहसील सूरतगढ, जिला गंगानगर।

-- अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राजस्व, सूरतगढ, जिला गंगानगर।

-- रैस्पोण्डेण्ट

एकल-पीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थिति :-
(1) श्री दिनेश सेन, अभिभाषक अपीलार्थी
(1) श्री एस0 पी0 चौधरी, राजकीय उप अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः 01 मई, 2018

हस्तगत द्वितीय अपील धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर द्वारा अपील संख्या 364/2004 अनुवानी सरकार बनाम श्रीमती नानू में दिनांक 18-03-2006 को पारित निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा दिनांक 11-4-1984 को नानू-अपीलार्थी को ग्राम सांवतसर के खसरा नम्बर 285 की 5-357है0 तथा खसरा नम्बर 669/258 रकबा 1-518 है0 भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4), कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत होने पर अति0 कलक्टर (प्रशासन), श्री गंगानगर द्वारा निर्णय दिनांक 31-12-1985 से आवंटन को निरस्त किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा निर्णय दिनांक 8-8-2001 से अपील को खारिज किया गया और रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 13-2-2003 से प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। रिमाण्ड आदेश की पालना में अति0 कलक्टर (प्रशासन), श्री गंगानगर द्वारा निर्णय दिनांक 15-6-2004 से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4), कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 को खारिज

किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर द्वारा अपील संख्या 364/2004 अनुवानी सरकार बनाम श्रीमती नानू में दिनांक 18-03-2006 को निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4), कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 को स्वीकार किया और प्रश्नगत भूमि के आवंटन को निरस्त कर आराजी को रकबा राज घोषित किया, जिसके विरुद्ध यह अपील है।

3 - अभिभाषक उभय पक्ष की बहस अपील पर सुनी गई ।

4- प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा दिनांक 11-4-1984 को अपीलार्थी को ग्राम सांवतसर के खसरा नम्बर 285 की 5-357 है0 तथा खसरा नम्बर 669/258 रकबा 1-518 है0 भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था जिसके विरुद्ध मियाद समय सीमा के बाहर प्रस्तुत की गई अपील को स्वीकार कर आवंटन को निरस्त करने में राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर द्वारा स्पष्ट रुप से अनियमितता की है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलार्थी के खाते में 78 बीघा भूमि होना माना गया है किन्तु यह कथन सही नहीं है, हमारे खाते में कोई भूमि नहीं है तथा प्रार्थीया भूमिहीन काश्तकार है और आवंटन की पात्रता रखती है। विधिवत रुप से प्रार्थीया की पात्रता को देखते हुये आवंटन किया गया है और आवंटन के उपरान्त से ही अपीलार्थी का आराजी पर कब्जा काश्त है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रकरण में विधिवत परीक्षण किये बिना ही आवंटन को निरस्त किया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने और अपीलार्थी के पक्ष में किए आवंटन को यथावत बहाल रखने का निवेदन किया।

5- रैस्पो0 पक्ष के योग्य राजकीय उप अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी के पति के पास 78 बीघा भूमि खातेदारी में रही है और अपीलार्थी अपने पति के साथ ही रहती है। अपीलार्थी द्वारा जो कृषि भूमि आवंटन प्रयोजनार्थ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि खुद के नाम भूमि नहीं है। पति के नाम 78 बीघा बारानी भूमि है और अपीलार्थी पति पर आश्रित है और एक ही परिवार की सदस्य है। योग्य अधिवक्ता का बहस में ये भी कथन रहा है कि अपीलार्थी का विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है और वह दूसरे गॉव में रहती है। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थीया आवंटन की पात्र नहीं है। योग्य अधिवक्ता का ये भी कथन रहा है कि अपीलार्थी की अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में की गई अपील स्पष्ट रुप से मियाद बाहर रही है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर होना सही प्रकार से माना है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थी सारहीन होना बताते हुये खारिज करने का निवेदन किया।

6- अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया।

7- पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलार्थी नानू धर्मपत्नि रुक्मणा राम के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा

दिनांक 11-4-1984 को अपीलार्थी को ग्राम सांवतसर के खसरा नम्बर 285 की 5-357 है0 तथा खसरा नम्बर 669/258 रकबा 1-518 है0 भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। आवंटन नियमों के तहत आवंटन हेतु आवेदक का भूमिहीन होना आवश्यक है और साथ ही कृषक होने का बिन्दु भी आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा जो आवंटन आवेदन उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें अंकित किया है कि खुद के नाम कोई भूमि नहीं है। पति के नाम 78 बीघा बारानी भूमि है। प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है कि वह अपने पति से पृथक रहती है, बल्कि इसके विपरीत पत्रावली में उपलब्ध परिवार कार्ड में प्रार्थीया रुकमाराम की पत्नि हो कर एक ही परिवार की सदस्य होना पाया जाता है। निर्वाचक नामावली के अनुसार भी प्रार्थीया रुकमाराम के परिवार की सदस्य होना स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया है कि वह पति के साथ रहती है। अतः आवंटी को भूमिहीन सद्भावी कृषक की श्रेणी में होना नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के समस्त तथ्यों को देखते हुये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है और द्वितीय अपील के माध्यम से अपीलार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं रहती है। फलतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य